

टिप्पणी जिसमें बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.स.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम मानखण्ड तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 292-316 के खसरा संख्या 1081, 1082 रकबा 0.04, 0.08 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)  
खसराण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 140/2022(2022/514)

1. रतनलाल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी सूरीमाता तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी



1. राज. सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री रामसिंह राठौड

पैरोकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश


दिनांक 22.11.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम मानखण्ड तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
292-316	1081	0.04	बारानी-3
	1082	0.08	बारानी 3
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.12	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण ही बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढ़ी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय मे उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब




उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)

टिप्पणी जिसमें बताया सलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि हे सजहित प्रभावित नहीं है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रकारान की बहस पर मनन किया । प्राथीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार कारसकार है । खातेदार कारसकार की स्वय की खातेदारी की पत्थरगडी करवाने की हक अधिकार है । अत प्राथीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडी अन्तर्गत धारा 128 मूर.अधि की तहत स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार कंकडी कारं ग्राम मानखण्ड तहसील कंकडी क खाला सख्या नया पुराना 292-316 के खसरा सख्या 1081, 1082 रकबा 0.04, 0.06 हैक्टर की पत्थरगडी प्राथीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगडी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम मणित करके की जावे । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
विकास पंचाली  
मानखण्ड अधिवक्ता  
कंकडी (आराजी)

